115

839

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक / 16 नि0 4272-एक/16

श्री रजनी अश्विनी शर्मा एड
द्वारा आज दि. 21/12/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V. 21/12/16

1— लक्ष्मी प्रसाद पुत्र मानू सोनी
2— उमाशंकर पुत्र मानू सोनी
3— रामाबाई बेवा सीताराम सोनी
4— द्वारिकाप्रसाद तनय सीताराम सोनी
5— रामलली पुत्री सीताराम सोनी
6— पार्वती पुत्री सीताराम सोनी
7— मुन्नी बेवा हल्काई सोनी
निवासीगंण ग्राम दिगौड़ा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

————आवेदकगंण

विरूद्व

1— कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0
2— मध्यप्रदेश शासन

———— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्व आदेश दिनांक 27.10.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ प्र0क0 06/अपील/2016–17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4272–एक/2016 जिला –टीकमगढ

स्थ... दि	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर
4.1.17		आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 06/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.10.16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक के पैनल अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये । 3– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण के पिता मानू सोनी द्वारा दिनांक 10.6.57 को बाबूलाल चौबे से खसरा नं0 2150 रकवा 0.72 एकड भूमि कय की गई थी एवं जिसका नामातंरण दिनांक 23–10–64 को स्वीकृत किया गया था। आवेदकगण के पिता मानू सोनी का निधन हो गया तब आवेदकगण ने नायब तहसीलदार के न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती के लिये एवं रिकार्ड में अवैधता को दूर करने के लिये अंतर्गत धारा 70 सहपठित धारा 115 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया क्यों कि खसरा नंबर 2150 का नक्शा ट्रेस एवं बिना किसी आदेश के 2150/1 के रूप में आवेदकगण का 0.210 हैक्टेयर एवं अनावेदक की सडक 2150/2 के रूप में रकवा 0.081 एकड बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से	

दर्ज कर दी गई है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व भूमि कभी भी अधिगृहित नहीं हुई और ना ही आवेदकगण की भूमि को कभी भी मध्य प्रदेश शासन दर्ज का आदेश किया गया है, इसलिये आवेदकगण ने रिकार्ड अद्यतन सही करने के लिये नायब तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन दिया था। उनके द्वारा आगे बहस में कहा गया है कि नायब तहसीलदार दिगौड़ा ने संबंधित पटवारी से रिपोर्ट चाही गई एवं पंचनामा और अधिवक्ता से पुराने खसरा की प्रतियां बुलाई गई जो अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय में वर्ष 74–75 से वर्ष 88–89 की खसरा प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसका विवरण आदेश पत्रिका दिनांक 21.7.16 में उल्लेख किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण के समय मौके पर कोई सड़क नहीं पाई गई, मात्र अभिलेख में पृविष्टि करने से प्राईवेट व्यक्ति की स्वामित्व की भूमि शासकीय म0प्र0 शासन बिना सक्षम अधिकारी के कर देना न्यायोचित नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आक्श्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राहय की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता

द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार दिगौडा ने संबंधित पटवारी से रिपोर्ट चाही गई एवं पंचनामा और अधिवक्ता से पुराने खसरा की प्रतियां बुलाई गई जो अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय में वर्ष 74—75 से वर्ष 88—89 की खसरा प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसका विवरण आदेश पत्रिका दिनांक 21.7.16 में उल्लेख किया गया है। खसरों की प्रतियों में आवेदक का नाम ही अंकित है तथा उसमें कोई सड़क एवं अलग से 2150 / 2 का भाग नहीं पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ द्वारा मात्र यह आदेश में उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा यह सिद्व नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब और केसे स्वत्व परिवर्तन हुआ है। जबकि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि बिना सक्षम अधिकारी के उक्त भूमि को म0 प्र0 शासन भी दर्ज कर दिया गया है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि आवेदकगण के पिता के पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र दिनांक 10—06—57 से उसी आधार पर राजस्व अभिलेख मे किये गये नामांतरण दिनांक 23—10—64 एवं खसरा की प्रतियों में आवेदक का नाम अंकित है तथा पंचनामा आदि पटवारी की रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में है। अनुविभागीय अधिकारी का प्र0क0 6 / अपील / 16—17 में पारित आदेश दिनांक 27.10.16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक का खसरा 2150 / 1 रकवा 0.210

खसरा न0 2150 / 2 रकवा 0.081 है0 भी आवेदकगण के नाम तहसीलदार जतारा के शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य